पत्रांक 947-6 ए0 आर0-74/11683

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी विभागाध्यक्ष, मण्डल के आयुक्त,
उप-आयुक्त तथा सभी उप मण्डल अधिकारी, (सिविल) हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़ 18 मई, 1974

विषय : छुट्टियों के दिनों में (रविवार को छोड़कर) प्राप्त बहुत आवश्यक/तत्काल संदर्भों के निपटान की व्यवस्था ।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के परिपत्र क्र: 1233-6 ए0 आर0-73/14594 दिनांक 6/8-6-73 की ओर दिलाने का निदेश हुआ है, जिसमें यह कहा गया था कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की बहुत आवश्यक/तत्काल संदर्भों के निपटान के लिए छुट्टी के बिना ड्यूटी लगाई जाएगी, उन्हें इस दिन का प्रतिपूरक अवकाश दिया जायेगा । इस बारे में विचार किया गया है और निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया जाता है :—

(1) सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को प्रतिपूरक अवकाश ड्यूटी देने की तिथि से एक मास के अन्दर ले लेना चाहिए, अन्यथा यह अवकाश lapse हो जाएगा । अगर अधिकारी/कर्मचारी प्रतिपूरक अवकाश के लिए आवेदन-पत्र देता है और प्रशासकीय आवश्यकता के कारण छुट्टी refuse की जाती है तो प्रतिपूरक अवकाश की अवधि छः सप्ताह तक बढ़ा दी जाए।

(2) इस अवकाश को अन्य राजपत्रित अवकाश के साथ मिलाने में कोई आपत्ति नहीं है ।

(3) इस अवकाश के दौरान उपायुक्त अधिकारी की मंजूरी से कार्य स्थान छोड़ने की कोईआपत्ति नहीं है ।

2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रविवार को किसी स्टाफ की ड्यूटी नहीं लगाई जाती । इसलिए इस दिन की प्रतिपूरक छुट्टी देने का सवाल ही नहीं उठता। जब स्टाफ की आधे दिन की ड्यूटी लगाई जाती है, तो आधे दिन का ही प्रतिपूरक अवकाश दिया जाएगा । यदि इस बात का प्रमाण हो कि डाक आधे-दिन के बाद आई थी, तो प्रतिपूरक अवकाश पूरे दिन का दे दिया जाए । परन्तु यदि विभागाध्यक्ष समझे कि ड्यूटी देने वाले कर्मचारी को किसी ऐसी रसीद का भुगतान करना है जिसके लिए उसको सारा दिन बैठना आवश्यक है तो उस दशा में प्रतिपूरक अवकाश पूरे दिन के लिए दे दिया जाए।

(केवल निदेशक, अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग कल्याण, हरियाणा के लिए इस पत्र के साथ उनके क्रमांक सं0/1/8106, दिनांक 24-4-74 का निपटान भी हो जाता है) ।

भवदीय,

अमर चन्द

विशेष कार्याधिकारी (ए0 आर0)
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।